(13)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष/सदस्य महोदय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा (म0प्र0)

R 5020-III/16

1. रघुवंश प्रसाद साहू, उम्र– 54 वर्ष
2. हरिवंश प्रसाद साहू, उम्र– 50 वर्ष
3. वेदमणि साहू , उम्र– 48 वर्ष
4. हीरामणि साहू, उम्र– 43 वर्ष

चारों के पिता दुलारे साहू

5. वंशलाल साहू, उम्र–45 वर्ष
6. जयलाल साहू, उम्र–42 वर्ष
7. छोटेलाल साहू, उम्र– 40 वर्ष
8. कैरा साहू, उम्र– 38 वर्ष

चारों के पिता रामलखन साहू

सभी निवासी ग्राम ग्राम कठर्रा, तह0 बहरी (सिहावल), जिला सीधी (म0प्र0)

.... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. मनबसुआ पत्नी ठाकुरदीन साहू
2. राजेश कुमार पिता ठाकुरदीन
3. अमृतलाल साहू
4. मंगाली साहू, दोनों के पिता महेश प्रसाद साहू
5. कामता साहू
6. लछिमन साहू
7. लक्षधारी साहू

तीनों के पिता मोतीलाल साहू

8. सुगनी पत्नी जगन्नाथ साहू

सभी निवासी ग्राम कठर्रा, तह0 बहरी (सिहावल) जिला सीधी (म0प्र0)

..................गैरनिगरानानीकर्ता

श्री हेमकुमार ... द्वारा आज 14.1.16 प्रस्तुत किया

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् उप बंदोबस्त अधिकारी सीधी के प्र.क. 91/अ–1/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 30.12.99 व प्र.क. 92/अ–1/98–99 पारित आदेश दिनांक 30.12.99

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5020–दो/2016 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–11–2016	आवेदक अभिभाषक प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी उप बंदोबस्त अधिकारी सीधी के प्रकरण कमांक 91/अ–1/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 30–2–99 एवं प्रकरण कमांक 92/अ–/98–99 में पारित आदेश दिनांक 30–12–99 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों विचार किया एवं प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का परिसीलन किया। आवेदक द्वारा जिस आदेश को चुनौती दी गई है उसकी सत्यापित प्रति निगरानी के साथ प्रस्तुत नहीं की गई है। निगरानी के साथ सत्यापित प्रति से छूट दिये जाने बावत संहिता की धारा 48 का आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा निगरानी के साथ नकल आवेदन की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की गई जिसमें प्रकरण कमांक 91/अ–1/98–99 रजिस्टर में दर्ज होना नहीं पाये जाने की टीप अंकित है। आवेदक द्वारा जिस प्रकरण एवं आदेश को चुनौती दी जा रही है वह प्रकरण दर्ज होना ही नहीं पाया गया है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस. एस. अली) सदस्य	